

लोकसभा

तारांकित प्रश्न संख्या *103

10 फरवरी, 2020 को उत्तर के लिए

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में वित्तीय लेन-देन

***103. श्री सुशील कुमार सिंह:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के द्वारा अधिशेष धनराशि के निवेश के संबंध में लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिनांक 8.5.2017 के व्यापक दिशानिर्देशों के लागू होने से पूर्व, आरक्षित निधियों, अधिशेष निधियों, नकद धनराशि तथा बैंक निधियों को एक बैंक से दूसरे बैंक में अंतरित करने/उपयोग करने के संबंध में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के वित्त विभाग की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये कोई तंत्र विद्यमान था;
- (ख) यदि हां, तो वर्ष 2011 तथा 2017 के मध्य ऐसे दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा ऐसी निधियों के एक बैंक से दूसरे बैंक में अंतरण का वर्ष 2011 से मामले-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है;
- (घ) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक से निजी क्षेत्र के बैंक में निधियों को अंतरित किये जाने के मामलों का प्रत्येक मामले सहित ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या निधियों के अन्यत्र उपयोग के लिये उनको भिन्न-भिन्न बैंकों में अदला-बदली हेतु अंतरित करने के संबंध में लेखा-परीक्षा संबंधी कोई आपत्ति की गई है अथवा किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई आंतरिक जांच की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री

(श्री धर्मद्र प्रधान)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में वित्तीय लेन-देन” के बारे में श्री सुशील कुमार सिंह, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया व दिनांक 10 फरवरी, 2020 को उत्तर के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *103 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): जी, हाँ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने सूचित किया है कि वह “केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अधिशेष निधि के निवेश” के संबंध में लोक उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ऐसे सभी मार्ग निदेशों/संशोधनों/स्पष्टीकरणों का अनुपालन करती रही है। ऐसा प्रथम दिशानिर्देश लोक उद्यम विभाग के कार्यालय जापन सं. डीपीई/14(19)/90-वित्त, दिनांक 03.01.1992 के माध्यम से जारी किया गया था और तत्पश्चात् लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 08 मई, 2017 के कार्यालय जापन सं. 18(1)/2012-वित्त के माध्यम से निर्धारित विद्यमान दिशानिर्देशों के साथ-साथ समय-समय पर कुछेक संशोधन/स्पष्टीकरण जारी किए। इसके अतिरिक्त, सेल के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति/क्रियाविधि के अनुसार अधिशेष कोष का निवेश सहभागी बैंकों द्वारा प्रस्तावित सर्वाधिक ब्याज दरों पर किया गया था। बकाया जमा राशि की स्थिति के संबंध में भी सेल के बोर्ड को नियमित रूप से बताया गया।

(ग) और (घ): सेल ने वित्तीय लेन-देन से संबंधित अपना कार्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ ही किया। सेल ने अपनी सभी धनराशि प्राप्त करने और भुगतान करने का कार्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से किया। अतः जब भी निवेश हेतु कोष का अंतरण किया गया तो वह एसबीआई के माध्यम से किया गया। वित्त वर्ष 2011-12 से 2014-15 के दौरान किए गए ऐसे अंतरणों का मामलावार ब्योरा अनुलग्नक-1 क से 1 घ में दिया गया है।

सेल द्वारा पिछली बार निवेश मार्च, 2015 में किया गया था जो मार्च, 2016 में परिपक्व मैच्योर हुआ। उसके बाद सेल के पास निवेश हेतु ऐसा कोई अधिशेष कोष नहीं था।

(ड) सेल ने यह भी सूचित किया है कि लेखा परीक्षा (सीएजी/सांविधिक लेखा परीक्षक) में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है, इसलिए अधिकारियों द्वारा अलग-अलग बैंकों में राशि जमा कराए जाने पर हरजाना (क्विड प्रो क्यूओ) दिए जाने के संबंध में कोई आंतरिक जांच नहीं की गई।

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंकों के पास पड़े अधिशेष नकद जमा

क्र सं.	बैंक का नाम	जमा की तारीख	राशि करोड़ रु.
---------	-------------	--------------	----------------

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

1	आईडीबीआई बैंक	27.05.2011	900
2	भारतीय स्टेट बैंक	16.11.2011	1400
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	04.01.2012	900
4	केनरा बैंक	06.01.2012	2000
5	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	28.01.2012	600
6	विजय बंक	23.01.2012	250
7	विजय बंक	31.01.2012	400
8	विजय बंक	02.02.2012	100
9	आईडीबीआई बैंक	14.02.2012	250
10	कॉरपोरेशन बैंक	11.02.2012	250
11	इलाहाबाद बैंक	21.02.2012	100
12	इलाहाबाद बैंक	20.03.2012	300
13	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	23.02.2012	50
14	विजय बंक	24.02.2012	125
15	विजय बंक	29.02.2012	200
16	विजय बंक	05.03.2012	100
17	केनरा बैंक	12.03.2012	900
18	आईडीबीआई बैंक	21.03.2012	400
19	केनरा बैंक	22.03.2012	2000
20	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	26.03.2012	200
21	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	27.03.2012	1000
22	कॉरपोरेशन बैंक	28.03.2012	300
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास कुल		12725

निजी क्षेत्र के बैंक

1	यस बैंक	24.11.2011	100
2	इंडसइंड बैंक	22.03.2012	100
3	जम्मू और कश्मीर बैंक	29.03.2012	100
	निजी क्षेत्र के बैंकों के पास कुल		300
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास%	98%	
	निजी क्षेत्र के बैंकों के पास%	2%	

अनुलग्नक-1ख

वर्ष 2012-13 के दौरान बैंकों के पास पड़े अधिशेष नकद जमा

क्र. सं.	बैंक का नाम	जमा की तारीख	राशि करोड़ रु.
----------	-------------	--------------	----------------

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

1	भारतीय स्टेट बैंक	09.04.2012	105
2	भारतीय स्टेट बैंक	10.04.2012	35
3	भारतीय स्टेट बैंक	11.04.2012	90
4	भारतीय स्टेट बैंक	16.04.2012	50
5	भारतीय स्टेट बैंक	20.04.2012	20
6	भारतीय स्टेट बैंक	26.05.2012	60
7	भारतीय स्टेट बैंक	28.05.2012	60
8	भारतीय स्टेट बैंक	29.05.2012	155
9	भारतीय स्टेट बैंक	30.08.2012	200
10	भारतीय स्टेट बैंक	23.01.2013	100
11	भारतीय स्टेट बैंक	24.01.2013	100
12	भारतीय स्टेट बैंक	28.01.2013	100
13	भारतीय स्टेट बैंक	30.01.2013	100
14	भारतीय स्टेट बैंक	31.01.2013	400
15	केनरा बैंक	22.03.2013	500
16	केनरा बैंक	22.03.2013	1400
17	केनरा बैंक	23.03.2013	500
18	बैंक ऑफ बड़ौदा	28.03.2013	1000
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास कुल			4975

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास%	100%
निजी क्षेत्र के बैंकों के पास%	0%

वर्ष 2013-14 के दौरान बैंकों के पास पड़े अधिशेष नकद जमा

क्र सं.	बैंक का नाम	जमा की तारीख	राशि करोड़ रु.
---------	-------------	--------------	----------------

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

1	भारतीय स्टेट बैंक	31.08.2013	500
2	यूको बैंक	06.09.2013	1050
3	विजय बंक	12.09.2013	500
4	पंजाब एंड सिंध बैंक	12.09.2013	1000
5	विजय बंक	13.09.2013	500
6	विजय बंक	16.09.2013	550
7	आईडीबीआई बैंक	21.03.2014	500
8	आईडीबीआई बैंक	21.03.2014	500
9	आईडीबीआई बैंक	21.03.2014	500
10	पंजाब एंड सिंध बैंक	21.03.2014	500
11	पंजाब एंड सिंध बैंक	25.03.2014	500
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास कुल			6600

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास%	100%
निजी क्षेत्र के बैंकों के पास%	0%

वर्ष 2014-15 के दौरान बैंकों के पास पड़े अधिशेष नकद जमा

क्र सं.	बैंक का नाम	जमा की तारीख	राशि करोड़ रु.
---------	-------------	--------------	----------------

निजी क्षेत्र के बैंक

1	आईडीबीआई बैंक	18.03.2015	500
2	आईडीबीआई बैंक	19.03.2015	500
3	आईडीबीआई बैंक	20.03.2015	500
4	आईडीबीआई बैंक	21.03.2015	500
निजी क्षेत्र के बैंकों के पास कुल			2000

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास%	100%
निजी क्षेत्र के बैंकों के पास%	0%
